नकल आदेश दि० 17/2/09

आ०प्र०स०

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, इलाहाबाद ।

वाद संख्या   11   सन् 2009

धारा 143 उ० प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम ।

ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद ।

कौशल कुमार   बनाम   सरकार

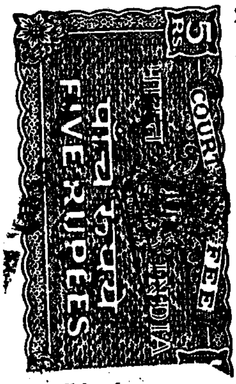

निर्णय

प्रस्तुत वाद कौशल कुमार पुत्र स्व० शम्भूनाथ निवासी 102बी/3 बेनीगंज परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद द्वारा इस कथन के साथ योजित किया गया है कि ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद स्थित आराजी संख्या 98/0.300, 99/1.029, 103/3.360 का भूमिधर है । आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है । उपरोक्त आराजी पर शम्भूनाथ इन्स्टीयूट आफ इंजीनयरिंग एण्ड टेक्नालाजी नाम विद्यालय की इमारत खड़ी है । इस आराज़ी के बगल बगल भी उक्त विद्यालय की इमारत बनी है । खेती नहीं की जा रही है अन्त में याचना किया कि भूमि पर खेती नहीं हो रही है । विद्यालय चल रहा है इस कारण उपरोक्त आराजी को अकृषक शिक्षण तकनीकी, चिकित्सीय उच्चतर एंव माध्यमिक शिक्षण घोषित किया जाय । प्रकरण की जांच तहसीलदार सदर से करायी गयी ।

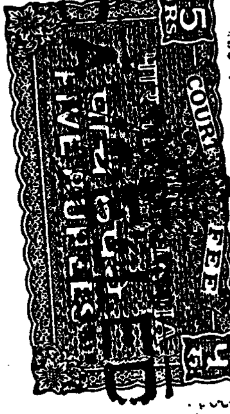

नायब तहसीलदार दक्षिणी द्वारा अपनी स्थलीय जांच आख्या में यह अंकित किया गया है कि उक्त आराजियात शम्भूनाथ इन्स्टीयूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी कालेज के उपयोग में लायी जा रही है । इस पर कई वर्षों से कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । भूमि गैर कृषिक उपयोग हो रहा है । आस-पास की आराजियात भी विद्यालय के उपयोग हो रहा है । आस पास की आराजियात भी विद्यालय के उपयोग में है । विगत कई वर्षों से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । उक्त भूखण्ड को अकृषिक घोषित किया जाना विधिक प्रतीत होता है । जिसे तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है ।

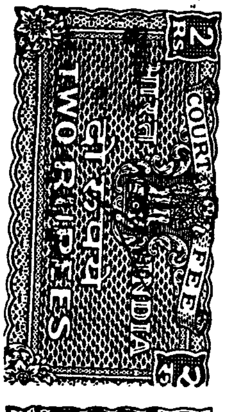

मैने पत्रावली का अवलोकन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध नायब तहसीलदार/तहसीलदार की आख्या का परीक्षण किया जिससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजियात पर कृषिक कार्य विगत कई वर्षों से नहीं किया जा रहा है । इसके अलावा उक्त भूमि पर विद्यालय बना हुआ है तथा विद्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है । नायब तहसीलदार एंव तहसीलदार सदर द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति किया है । इस कारण शिक्षण कार्य हेतु अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है ।

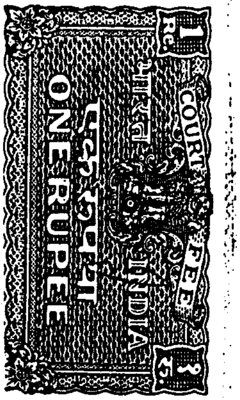

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि स्थापित शिक्षण संस्थान की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए भूमि ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद की आराजी संख्या ।

(हस्ताक्षर) क्रमशः-----/2

98/0.300, 99/1.029 हे0, 103/0.343 हे0 को शिक्षा तकनीकी चिकित्सीय, उच्चतर एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय। आदेश की सत्यापित प्रति उप निबंधक सदर, प्रथम/द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
उप जिलाधिकारी, सदर
इलाहाबाद।

17.2.2009

सत्यापित
25/2/09

कार्यालय उप जिलाधिकारी
सदर, इलाहाबाद